(14)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 26/2022

गोकुलचन्द सोनी पुत्र सोहनलाल, निवासी टमकोर, जिला झुंझुनूं, मो0न0 9414835152

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 17.02.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.01.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 26/2022 पर दिनांक 21.01.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/204–205 दिनांक 21.01.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर ने पत्रांक भू0अ0/2022/242 दिनांक 04.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी गोकुलचन्द सोनी पुत्र सोहनलाल, निवासी टमकोर का आवेदन प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे मे इस कार्यालय के पत्र कमांक आर0टी0आई0/2021/2570 दिनांक 24.12.2021 के माध्यम से प्रार्थी को जरिये डाक सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2022/242 दिनांक 04.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी गोकुलचन्द सोनी पुत्र सोहनलाल, निवासी टमकोर का आवेदन प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक आर0टी0आई0/2021/2570 दिनांक 24.12.2021 के माध्यम से प्रार्थी को जरिये डाक सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप उसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 17.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.02.21 17:09:40 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू